न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अपर जिला मजिस्ट्रेट, बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी : राजेन्द्र सिंह चांदावत, आर0ए0एस0

खाद्य सुरक्षा परिवाद सं. 40/2023

प्रार्थी –

राजस्थान सरकार जरिये

खाद्य सुरक्षा अधिकारी बाड़मेर

बनाम

अप्रार्थीगण –

1. सुरेश कुमार पुत्र श्री रामाराम जाति जाट निवासी गांव नवलदेव छतरी, चौखला तहसील बायतु जिला बाड़मेर (मैसर्स दुर्गा दूध डयेरी एण्ड बेकरी, नेहरू नगर, बाड़मेर का विक्रेता)
2. गिरधारी लाल पुत्र श्री पुरखाराम निवासी माताजी की भाकरी, भिंयाड तहसील शिव जिला बाड़मेर (मैसर्स दुर्गा दूध डयेरी एण्ड बेकरी, नेहरू नगर, बाड़मेर का मालिक)

परिवाद अन्तर्गत धारा 26(2)(ii) सहपठित धारा 51 खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006

उपस्थिति :–

1. अभियोजन अधिकारी प्रार्थी की ओर से उपस्थित।
2. श्री पवनगिरी सोडियार, अधिवक्ता अप्रार्थीगण की ओर से उपस्थित।

आदेश

दिनांक : 27.05.2024

1. प्रार्थी की ओर से यह परिवाद खाद्य सुरक्षा अधिकारी बाड़मेर द्वारा धारा 26 की उप धारा (2)(ii) के उल्लंघन के फलस्वरूप धारा 51 खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के अन्तर्गत अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रस्तुत किया गया है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी बाड़मेर द्वारा प्रस्तुत परिवाद के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि प्रार्थी ने दौराने गश्त

न्याय निर्णयन अधिकारी एव
अपर जिला मजिस्ट्रेट बाड़मेर

दिनांक **12.04.2023** को अप्रार्थी संख्या 2 के प्रतिष्ठान **मैसर्स दुर्गा दूध डयेरी एण्ड बेकरी, नेहरू नगर, बाड़मेर** में निरीक्षण के दौरान विक्रय हेतु रखा गया खाद्य पदार्थ **दही (पाश्चुराईड होमोनाइज्ड टोण्ड मिल्क से निर्मित)** डीप फ्रीज में एक प्लास्टिक के केन में भरा हुआ पाया, को मिलावट का होने के शक पर नियमानुसार कुल **800 ग्राम दही (पाश्चुराईड होमोनाइज्ड टोण्ड मिल्क से निर्मित)** वास्ते नमूना क्रय किया जाकर नमूना संख्या **पी–1983** अंकित कर इसकी जांच खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 के तहत कराये जाने हेतु प्रपत्र–5(ए) भरकर अप्रार्थीगण एवं गवाह व विक्रेता के हस्ताक्षर करवाये गये। उक्त खाद्य पदार्थ **दही (पाश्चुराईड होमोनाइज्ड टोण्ड मिल्क से निर्मित)** का नमूना वास्ते जांच खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जोधपुर को भिजवाया गया। खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जोधपुर द्वारा उक्त खाद्य पदार्थ **दही (पाश्चुराईड होमोनाइज्ड टोण्ड मिल्क से निर्मित)** का नमूना **अवमानक (Sub-standard)** पाये जाने पर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस सूचना दी गई, जिस पर अप्रार्थीगण द्वारा कोई जवाब ऐतराज प्रस्तुत नहीं किया गया। इस पर प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी बाड़मेर द्वारा यह परिवाद प्रस्तुत कर अप्रार्थी को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उप धारा (2)(ii) का उल्लंघन करने के लिए अधिनियम की धारा 51 के तहत जुर्माना से दण्डित करने का निवेदन किया है।

2. अप्रार्थीगण को जरिये रजिस्टर्ड नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण जरिये अधिवक्ता उपस्थित।

3. हमने प्रस्तुत परिवाद पर अभियोजन अधिकारी की बहस सुनी गई। प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत परिवाद का अवलोकन किया एवं पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। अप्रार्थीगण द्वारा कारित अपराध खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत जुर्माना से दण्डनीय है तथा खाद्य पदार्थों से सम्बन्धित सुरक्षा मानकों के प्रति उदासीनता मानव स्वास्थ्य के प्रति गम्भीर अपराध की श्रेणी में माना गया है। अप्रार्थी संख्या 2 के प्रतिष्ठान से लिये गये खाद्य पदार्थ नमूना की खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जोधपुर से प्राप्त नमूना जांच रिपोर्ट दिनांक **03.05.2023** में उक्त नमूना **अवमानक (Sub-standard)** खाद्य का पाया गया है। प्रयोगशाला जांच रिपोर्ट अनुसार **Milk Fat** मानक स्तर न्यूनतम 3.0% के मुकाबले 1.71% एवं **Milk solids not fat** मानक स्तर न्यूनतम 8.5% के मुकाबले 5.98% पाया गया है जो कि मानक स्तर से कम है। इस पर अप्रार्थीगण को पदाभिहीत अधिकारी एवं इस न्यायालय द्वारा नोटिस जारी कर जवाब तलब किया गया इसके बावजूद अप्रार्थीगण द्वारा कोई जवाब/उजर प्रस्तुत नहीं किया

न्याय निर्णयन अधिकारी एव
अपर जिला मजिस्ट्रेट बाडमेर

गया जो कि जुर्म की मौन स्वीकारोक्ति है। इस प्रकार अप्रार्थीगण द्वारा उनके प्रतिष्ठान से विक्रय हेतु रखे गये खाद्य पदार्थ की मानकता के स्तर का नहीं होने से उसकी गुणवता के लिए उसका उत्तरदायित्व खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के अन्तर्गत अप्रार्थीगण का है किन्तु अप्रार्थीगण द्वारा अनुपस्थित रहकर इस दायित्व से विमुख होने का प्रयास किया है। लिहाजा अप्रार्थीगण के विरूद्ध खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उप धारा (2)(ii) का उल्लंघन करने के लिए अधिनियम की धारा 51 के तहत जुर्म प्रमाणित है।

4. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन उपरांत अप्रार्थीगण के विरूद्ध अपराध धारा 51 खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 प्रमाणित होने से अप्रार्थीगण पर संयुक्त रूप से **रूपये 10,000/–** का जुर्माना अधिरोपित किया जाता है। अप्रार्थीगण उक्त जुर्माना राशि का बैंक डिमाण्ड ड्राफ्ट मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बाड़मेर के नाम पेश करें, जो पेश होने पर सम्बन्धित अधिकारी को राजकोष मे जमा करवाने हेतु भिजवाया जावें। पत्रावली निर्णय शुमार होकर दाखिल दफ्तर हों।

5. आदेश आज दिनांक **27.05.2024** को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अपर जिला मजिस्ट्रेट, बाड़मेर (राज.)

(राजेन्द्र सिंह चांदावत)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अपर ज़िला मजिस्ट्रेट, बाड़मेर

न्याय निर्णयन अधिकारी एव
अपर जिला मजिस्ट्रेट बाडमेर